

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>घनश्याम बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 194 / 2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>25-07-2022</p>	<p>अपीलार्थी घनश्याम, पता प्लॉट नं० 05, पूर्वी आरतीनगर, ग्राम पाल जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.11.2021 में (1) भू-अभिलेख शाखा कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 1460 व 937 ग्राम झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर की सर्वप्रथम से लेकर संवत् 2038 तक की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर मूल पत्रावली मंगवाई गई। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पूर्व में इस न्यायालय में अपील सं० 18/2022 दायर हो चुकी थी जिसका निस्तारण दिनांक 15.02.2022 को किया जा चुका है अतः उक्त अपील प्रभावहीन ही है जो निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया।</p>	